भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 390

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2024 को दिया जाना है

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाएं

390. श्री विजय कुमार दूबे:
डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:
श्री धर्मबीर सिंह:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री दिलीप शइकीया:
डॉ. आलोक कुमार सुमन:
श्रीमती अपराजिता सारंगी:
श्री शंकर लालवानी:
डॉ. संजय जायसवाल:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा प्रस्तावित फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजना का ब्यौरा क्या है और वर्तमान में ऐसी कितनी परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या इसके अंतर्गत देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों को भी सम्मिलित किया जा रहा है; और

(घ) कोयला निकासी/खनन, अवसंरचना, परियोजना विकास, अन्वेषण और स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों में सुधार लाने के लिए सरकार की अन्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : अगस्त, 2019 से पहले, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने 151 एमटीवाई क्षमता की 20 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाएं स्थापित की थीं। अगस्त, 2019 से,

सीआईएल ने 837.5 एमटीवाई क्षमता की अतिरिक्त 72 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाओं को चिन्हित किया है। इन 72 परियोजनाओं में से 200.5 एमटीवाई की 15 परियोजनाएं शुरू कर दी गई हैं और 26 परियोजनाओं में कार्य चल रहा है। इस प्रकार, आज की तारीख की स्थिति के अनुसार, कुल 35 एफएमसी परियोजनाएं शुरू की गई हैं और कार्यात्मक हैं।

(ख) : सीआईएल द्वारा चिन्हित 72 एफएमसी परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत लगभग 27,750 करोड़ रुपये है। यह व्यय सीआईएल द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से पूरा किया जाएगा।

(ग) : एफएमसी परियोजनाएं बड़े आकार की खानों के लिए व्यवहार्य हैं। चूंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में छोटे आकार की खानें हैं, इसलिए वर्तमान में देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीआईएल की कोई एफएमसी परियोजना नहीं है।

(घ) : कोयला मंत्रालय तीन केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों, अर्थात (i) कोयला और लिग्नाइट का अन्वेषण, (ii) अनुसंधान एवं विकास और (iii) कोयला खानों में संरक्षण, सुरक्षा और अवसंरचनात्मक विकास को प्रशासित करता है। इन स्कीमों का विवरण निम्नानुसार है: -

क्र.सं.	**स्कीम का नाम**	**स्कीम का उद्देश्य**	**वित्त वर्ष 2024-25 में बजट आवंटन (करोड़ रू. में)**
1	कोयले और लिग्नाइट का अन्वेषण	भूवैज्ञानिक रिपोर्ट (जीआर) तैयार करके भारत के कोयला/लिग्नाइट संसाधनों का निरूपण, अनुमान और मूल्यांकन करना। इन रिपोर्टों का उपयोग नीलामी/आबंटन हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले नए कोयला ब्लॉकों के लिए किया जाता है।	730.00

2	अनुसंधान एवं विकास	नई तथा चल रही अनुसंधान परियोजनाओं की योजना बनाना, कार्यक्रम बनाना, बजट बनाना और अनुसंधान परियोजनाओं के कार्यान्वयन की देखरेख करना।	21.00
3	कोयला खानों में संरक्षण, सुरक्षा और अवसंरचनात्मक विकास	रेत भराई, बचाव कार्यों और परिवहन अवसंरचना के विकास द्वारा कोयले का संरक्षण तथा कोयला खानों में सुरक्षा सुनिश्चित करना।	92.50

उपरोक्त के अलावा, सरकार ने पीएसयू तथा निजी क्षेत्र दोनों के लिए कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने हेतु व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) प्रदान करने के लिए 8500 करोड़ रू. के वित्तीय परिव्यय के साथ एक स्कीम शुरू की है। अनुमोदित स्कीम में निम्नलिखित तीन श्रेणियों के अंतर्गत परियोजनाएं शामिल हैं।

- **श्रेणी-I,** 4050 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ, यह सरकारी पीएसयू के लिए है। वे वित्त पोषण सहायता के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं और तीन चयनित परियोजनाओं को अधिकतम 1350 करोड़ रुपये या परियोजना लागत का 15%, जो भी वीजीएफ के रुप में कम हो, का अनुदान प्राप्त होगा।
- **श्रेणी II,** 3850 करोड़ रुपए के साथ, यह निजी क्षेत्र और सरकारी पीएसयू दोनों के लिए उपलब्ध है जिसमें अधिकतम 1000 करोड़ रु. या परियोजना लागत का 15%, जो भी वीजीएफ के रूप में कम हो, का अनुदान प्राप्त होगा।
- **श्रेणी III,** 600 करोड़ रु. के साथ, यह प्रतिपादन या छोटे-पैमाने की परियोजनाओं के लिए है, जिसमें प्रति परियोजना अधिकतम परिव्यय 100 करोड़ रु. या परियोजना लागत का 15%, जो भी वीजीएफ के रूप में कम हो, किया जाएगा।

****